

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक
(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

07 / 2019

31.01.2019

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

- 1-भागचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी सरदारपुरा तहसील उनियारा जिला
टोंक राज०
2-परशुराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी सरदारपुरा तहसील उनियारा जिला
टोंक राज०

-अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार बनेठा जिला-टोंक

-रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध
निर्णय नायब तहसीलदार बनेठा दिनांक 28.12.2018 मिसल नम्बर 1381/2018

- उपस्थिति : (1) श्री राजेश गुर्जर, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

निर्णय

दिनांक 29.06.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा ने अपने निर्णय दिनांक 28.12.2018 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 162 रकबा 0.02 है० किस्म बजंड वाके ग्राम सरदारपुरा तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर मकान व बाडा बनाकर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 50/रु. पेनल्टी कायम कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार बनेठा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक रिपोर्ट नही मंगवाई गई है और ना ही स्वयं द्वारा मौका देखा गया है। उक्त भूमि पर अपीलांट के पूर्वजों के समय से ही मकान व बाडा बने होने के कारण घरेलू जानवर के लिए चारा पानी डाल रखा है। उक्त आराजीयात पर ग्राम पंचायत रानीपुरा द्वारा पट्टा जारी किया गया है। अपीलांट को पूर्व में किस



जिला कलेक्टर
टोंक

दिनांक, किस पत्रावली से बेदखल किया गया का उल्लेख नहीं है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 162 रकबा 0.02 है 0 किस्म बजंड वाके ग्राम सरदारपुरा तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर मकान व बाडा बनाने पर नायब तहसीलदार बनेटा द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम कर तीन माह की सिविल कारावास की दजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है। अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एवं बयान से सिद्ध है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स एवं राजकीय परोकार की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की और से रामदेवा की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 162 रकबा 0.02 है 0 किस्म बजंड वाके ग्राम सरदारपुरा तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर मकान व बाडा बनाकर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानों से सिद्ध है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं० 1966/2017 निर्णय दिनांक 26.11.2017 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहते है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने के आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेटा का निर्णय दिनांक 28.12.2018 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



चिन्मयी गोपाल
जिला कलेक्टर
राजगढ़